क्रमांक 72/13/78–एसः

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला व हिसार मंडल
सभी उपायुक्त तथा उप मंडल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा ।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
3. उप महानिरीक्षक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा

दिनांक, चण्डीगढ़ 2–6–1979

विषय :— भूतपूर्व सैनिकों की सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर चरित्र एवं पूर्ववृत का सत्यापन।

महोदय,

उपयुक्त विषय पर कृपया हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 7473–7 एसः,–75/14433, दिनांक 8-6-1976 द्वारा जारी की गई हिदायतों की ओर ध्यान दें ।

2. इस सम्बन्ध में कुछ विभागों ने इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण (Clarification) माँगा था कि क्या भूतपूर्व सैनिकों की सरकारी सेवा में नियुक्ति करने से पहले उनके चरित्र एवं पूर्ववृत का सत्यापन करवाना आवश्यक है । इस सम्बंध में भारत सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है । भारत सरकार के पत्र संख्या 604/79–स्था: (ख), दिनाँक 20-4-1979 तथा उसके अनुलग्नक की प्रतियां आपकी सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए संलग्न है ।

3. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी सेवा में नियुक्ति के समय भारत सरकार की इन हिदायतों के अनुसार कार्यवाही की जावे ।

भवदीय,
हस्ता/–
अवर सचिव, प्रशासन, ।
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति अनुलग्नकों की प्रतियों सहित निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है :—

1. वित्तायुक्त, जन स्वास्थ्य (II) वित्तायुक्त राजस्व एवं विकास, हरियाणा ।
2. हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव।

हस्ता/–
अवर सचिव प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. वित्तायुक्त, जन स्वास्थ्य तथा वित्तायुक्त राजस्व एवं विकास हरियाणा ।
2. हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।

अशा: क्रमांक 72/13/78-एसः, दिनांक 2–6–1979

एक प्रति अनुलग्नकों की प्रतियों सहित आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार श्रम विभाग को इस विभाग के अशा: क्रमांक 72/13/78-एसः, दिनांक 19–3–79 तथा उनके अशाः क्रमांक 6 (39) 78–6 श्रम दिनांक 16–5–79 के संदर्भ में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है ।

2. उनके कार्यालय की फाईल भी मूल रूप में उनको लौटाई जाती है ।

अवर सचिव, प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।

अशा: क्रमांक 72/13/78–एसः· दिनांक 2–6–1979

प्रतिलिपि पत्र संख्या 604/79 तथा (ख) हैल्थ अधिकारी, श्री एम:एस: पारथासारथी द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 1979 को मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ को सम्बोधित

विषय :— चरित्र और पूर्ववृत का सत्यापन-रिलीज होने के पश्चात भूतपूर्व सैनिकों की सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर राज्य सरकार के दिनांक 20-1-79 के पत्र संख्या 72/13/78-एस:, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, भूतपूर्व सैनिकों के रिलीज होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के किसी भी कार्यलय में नियुक्ति होने से पूर्व उनके चरित्र और पूर्ववृत का सत्यापन किया जाना आवश्यक होता है —देखिए गृह मंत्रालय का दिनांक 14 अक्तूबर, 1957 का: क्र: संख्या 20/102/47 एस: (ख) 1 (प्रति संलग्न)

2. किन्तु, यदि सेना प्राधिकारियों ने ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की सेवा में भर्ती से पूर्व, उनके चरित्र और पूर्ववृत का सत्यापन कर लिया है तो चरित्र और पूर्ववृत का सत्यापन नए सिरे से करना आवश्यक नहीं है बशर्ते कि रिलीज होने की तारीख तथा उक्त नियुक्ति की तारीख में एक वर्ष से कम का अन्तराल हो । ऐसे मामले में, सम्बन्धित सेना प्राधिकारियों से यह पुष्टि कर लेना ही पर्याप्त होगा कि चरित्र और पूर्ववृत का सत्यापन कर लिया गया था और उनके नियोजनाधीन अवधि में भूतपूर्व सैनिक का आचरण ऐसा नहीं था कि जिससे वह सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए उपयुक्त न हो।

3. चरित्र और पूर्ववृत का सत्यापन नए सिरे से करने का निर्णय लेने के लिए केवल डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र में की गई प्रविष्टि ही पर्याप्त नही होगी । चूंकि उक्त प्रमाण पत्र में व्यक्ति के आचरण का ही उल्लेख होगा किन्तु इस तथ्य का उल्लेख नहीं होगा कि चरित्र और पूर्ववृत का सत्यापन पहले कर लिया गया है या नहीं ।

Copy of Ministery of Home Affairs Office Memorandum No. 20/102/ 47—Ests. (S), dated the 14th October, 1947 addressed to all Ministries.

Subject **Verification of character and antecedents of candidates recruited through Employment Exchanges.**

The question whether the character and antecedents of persons recruited through the Employment Exchanges should be verified before they are appointed has been examined by this Ministry, and it has been decided that the following; procedure shall be observed for verification in such cases—

(i) In the case of Ex-servicemen and others, who have not previously served in an office of the Central Government, verification should be carried out in full, in accordance with the Home Department O.M. No. 20/58/45—Ests. (S), dated the 7th February, 1947.

(ii) In the case of a person who was originally employed in an office of the Central Government, if the interval between the case of his discharge from his previous office and the date of his securing a new appointment is less than a year, it would be sufficient if the appointing authority before making the appointment satisfies itself by a reference to the office in which the candidate was previously employed that, (a) that office have verified his character and antecedents and (b) his conduct while in employ in that office did not render him unsuitable for employment under Government. If, however, more than a year has lapsed after the discharge of the person from his previous office, verification should be carried out in full as indicated as at (i) above.

*2. This disposes of the office memorandum from the Ministry of Agriculture No. F.7—20/47—Policy, dated the 18th September, 1947.

*To the Ministry of Agriculture only.